

अवर सचिव  
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय  
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT  
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011  
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/25/2013-14

1 जुलाई, 2013

सेवा में,  
श्री राकेश कुमार  
डी. डी. (पीजी)/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी  
रजिस्ट्रेशन एंड कोरडिनेशन  
आर टी आई कक्ष,  
रेलवे बोर्ड,  
नई दिल्ली

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री विनोद कुमार व्यास, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारण परिषद, नगला शंकर लाल धनौली मलपुरा, आगरा कैन्ट-282001, उत्तर प्रदेश का दिनांक 11 मई 2013 का पत्र दिनांक 29 जून 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 19एफ 150456 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय वस्तु रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री विनोद कुमार व्यास, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारण परिषद, नगला शंकर लाल धनौली मलपुरा, आगरा कैन्ट-282001, उत्तर प्रदेश कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

0/c

आसे →

माननीय → हाकिम अन्वारी

उपराष्ट्रपति महोदय जी

एव राज्य सभा सभापति

उपराष्ट्रपति कार्यालय नई दिल्ली

RTI-8

विषय → सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

महोदय जी

✓ श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय जी



मे विनोद कुमार व्यास आपसे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा भारतीय रेलवे से (मण्डल रेल प्रबन्धक, भागरा) के अधीन सेवान (इयावा, टूण्डला, मारीपत) को इलाहाबाद से हटाकर (आगरा मण्डल) में शामिल करने व रिक्ति के रोजगारों के हित के लिए आगरा से (रेलवे अती बोर्ड) बनवाने के बारे में एवरि 2 सहायक हाकिम राष्ट्रपति जी को दिनांक 15-9-03, 2-3-05 तथा 3-7-12 को मेरे द्वारा (35) पंज के नोटरी साथ पत्र पर दिया है जिसमें आपके साथ वास्तव में दिनांक 9-1-13 को कार्यवाही हेतु भेजी गई है यह विधेयक लोक सभा एव राज्य सभा से पास किया गया है लेकिन बड़े अफसोस के साथ लिखना पठ रहा है कि माननीय पवन लाल रेल मन्त्री भारत सरकार व रेलवे बोर्ड द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है जबकि मेरे द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय से सूचना मांगी गई तो उन्होंने सूचना का पालन किया यह लड़ाई मेरी नहीं है जनता व देश के युवाओं के हित में है (टूण्डला से भागरा) मात्र 30 किमी. दूरी पर है एव (इलाहाबाद) 310 किमी है जब कालिन्दी एक्स. व प्रमोवास्ते का एक्सीडेंट हुआ तभी आगरा मण्डल के रेल प्रबन्धक श्रीमान देवेश मिश्रा अपनी टीम के साथ मात्र (1) एव घन्टे से पहुँच गये थे लेकिन महा प्रबन्धक एव मण्डल रेल प्रबन्धक इलाहाबाद से साय (5) पाँच बजे पहुँचे थे अतः आपसे निवेदन है कि रेल यात्रियों के हित एव सुरक्षा के लिए आपके सचिवालय से रेलवे बोर्ड को क्या लिखा है मुझे सत्यापित चायाकारी भेजने की कृपा करे आपकी अति कृपा होगी

भवदीय  
 20/6/13  
 विनोद कुमार व्यास

उत्तर मध्य रेलवे

सं 59-सी/अपराध/रेकोर्ड/१/१/१२

प्रधान कार्यालय  
ई.ब्लॉक भूमिगत-सूबेदार रोज  
इलाहाबाद।  
दि 014/8/12

श्री विनोद कुमार व्यास  
जिला शंकर लाल  
पोस्ट धर्मोली, थाना अलगपुरा  
ठागनेर रोड, आगरा इलाकी  
प्रिय महोदय,

राष्ट्रीय अध्यक्ष  
अखिल भारतीय भ्रष्टाचार  
एव अपराध निवारण परिषद

विषय:- इलहाबाद मंडल के ट्रेडिंग सेक्शन को आगरा  
मंडल में शामिल किया जाए एवं आपके करा दिये गये अन्य  
कृतियाँ

आपका दिनांक ११/८/१२ का परिवाद प्राप्त हुआ धन्यवाद इस संबंध में सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की जांच अपराध निवारण प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद द्वारा करवाई जा रही है। आशा है आप शीघ्र ही उनसे उत्तर प्राप्त करेंगे।

आपको हुई असुविधा हेतु रेल प्रशासन को खेद है।

भारतीय  
कृते महा प्रबन्धक/परिवाद

प्रति:- शिकायत की छायाप्रति के साथ प्रतिलिपि अपराध निवारण प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद को आवश्यक जांच करके और परिवादक को सीधे उत्तर देते हुए इस कार्यालय को भी सूचित करने हेतु प्रेषित।

सतलोक यथोक्त

कृते महा प्रबन्धक/परिवाद